POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 16.10.2026

हत्या के अभियोग से सम्बन्धित 02 अभियुक्त थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार व आलाकत्ल 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर, 01 खोखा कारतूस व 05 जिन्दा कारतूस बरामद

थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0 382/2026 धारा-190/191(2)/191(3)/332(A)/324(4)/3(5)/352/103(1)/309(4) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों 1. देवेंद्र नाथ मिश्रा उर्फ झून्ने पुत्र माता फेर मिश्रा निवासी 137D/1B चांदपुर सलोरी थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज व 2. नृपेंद्र नाथ मिश्रा पुत्र देवेंद्र नाथ मिश्रा निवासी 137D/1B चांदपुर सलोरी थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज को आज दिनांक 16.10.2026 को बेली अस्पताल के मुख्य गेट से गिरफ्तार किया गया व आलाकत्ल 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर, 01 खोखा कारतूस व 05 जिन्दा कारतूस बरामद बरामद किया गया। गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.10.2026 को थाना कर्नलगंज क्षेत्रान्तर्गत सलोरी में अभियुक्त देवेन्द्र नाथ मिश्रा व मृतक सतीश श्रीवास्तव, जिनके मध्य पूर्व से संपत्ति संबंधी विवाद था, के मध्य वाद-विवाद हुआ। उभय पक्ष अधिवक्ता हैं। आरोपियों द्वारा की गई फायरिंग में सतीश श्रीवास्तव

को गोली लगने से घायल हुए, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु एस0आर0एन0 हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर त्वरित कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 382/2026 धारा-190/191(2)/191(3)/332(A)/ 324(4)/3(5)/352/103(1)/309(4) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना में शामिल 02 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ करने पर अभियुक्त देवेंद्र नाथ मिश्रा द्वारा बताया गया कि उसका सतीश चंद्र श्रीवास्तव (मृतक) से काफी समय पूर्व से नजूल संपत्ति के कब्जे को लेकर विवाद चल रहा था। जिस सम्बन्ध में उभयपक्षों ने एक दूसरे के ऊपर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत कराये हैं। दिनांक 15.10.2026 को अभियुक्त देवेंद्र नाथ मिश्रा अपने पुत्र नृपेन्द्र उपरोक्त व अन्य लोगों के साथ उक्त जमीन के कब्जे की नियत से बॉउन्ड्री कूदकर अन्दर गया। सतीश चंद्र श्रीवास्तव से मारपीट की और अपनी लाइसेन्सी रिवाल्वर से जान से मारने की नियत से सतीश चन्द्र श्रीवास्तव को गोली मार दी तथा मौके से भाग गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. देवेंद्र नाथ मिश्रा उर्फ झून्ने पुत्र माता फेर मिश्रा निवासी 137D/1B चांदपुर सलोरी थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 60 वर्ष।
2. नृपेंद्र नाथ मिश्रा पुत्र देवेंद्र नाथ मिश्रा निवासी 137D/1B चांदपुर सलोरी थाना कर्नलगंज जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

आला कत्ल 01 लाइसेन्सी रिवाल्वर C-3340M .32 MK IV SAF कानपुर 2016, 01 खोखा कारतूस व 05 जिन्दा कारतूस।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 382/2026 धारा- 190/191(2)/191(3)/332(A)/324(4)/3(5)/352/103(1)/309(4) बी0एन0एस0 व धारा 30 आर्म्स एक्ट थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

अपराधिक इतिहास का विवरण-

A. अभियुक्त देवेंद्र नाथ मिश्रा उर्फ झून्ने उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 410/2025 धारा 190/191(2)/191(3)/333/352/115(2)/74/351(3)/324(4)/117(2) बी0एन0एस0 थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0- 382/2026 धारा- 190/191(2)/191(3)/332(A)/324(4)/3(5)/352/103(1)/309(4) बी0एन0एस0 व धारा 30 आर्म्स एक्ट थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

B. अभियुक्त नृपेंद्र नाथ मिश्रा उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0- 410/2025 धारा- 190/191(2)/191(3)/333/352/115(2)/74/351(3)/324(4)/117(2) बी0एन0एस0 थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0- 382/2026 धारा- 190/191(2)/191(3)/332(A)/324(4)/3(5)/352/103(1)/309(4) बी0एन0एस0 व धारा 30 आर्म्स एक्ट थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. नि0 ज्ञानेश्वर मिश्र, थाना प्रभारी कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 लाल भरत यादव, थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 देवेश सिंह परिहार, थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. हे0का0 गोविन्द प्रसाद, थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. हे0का0 अतुल कुमार सिंह, थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. का0 सुमित कुमार, थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
7. रि0का0 विनीत चौधरी, थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
8. रि0का0 दिग्विजय प्रसाद, थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
9. रि0का0 तेज प्रकाश खरवार, थाना कर्नलगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सोरांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0-402/2026 धारा-80(2)/85 भा0न्या0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त पंकज सोनी पुत्र महेश चन्द्र सोनी निवासी ग्राम गधिना थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना सोरांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-16.10.2026 को थाना सोरांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे कल्याण शाह ददौली स्थित राजकीय औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान के पास से गिरफ्तार कर नियामानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने परिजनों के साथ मिलकर मुकदमा वादिनी की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सोरांव पर मु0अ0सं0-402/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

पंकज सोनी पुत्र महेश चन्द्र सोनी निवासी ग्राम गधिना थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 29 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-402/2026 धारा-80(2)/85 भा0न्या0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 आलोक कुमार गौड़, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 सूरज राठी, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. रि0का0 शंकर सिंह, थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।